संख्या- 9/3745/12-2-2013-बजट-7/2010

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 13 दिसम्बर, 2013

विषय:अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-05-संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना (राज्य सेक्टर) के मानक मद-27-सब्सिडी की योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या: एस0एफ0/1003-जी/जी/लेखा-2/सं0बीज अनु0/2013-14 दिनांक 13 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या: 1384/12-2-2013-बजट.7/2010 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना (राज्य सेक्टर) के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-05-संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0 300000 हजार के सापेक्ष रू0 90000 हजार (रूपये नौ करोड मात्र) की धनराशि इस शर्त के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि व्यय की गयी धनराशि से संबंधित लाभार्थियों की सूची विभाग की वेबसाइट पर डाली जायेगी तथा प्रकरण में निर्गत कार्य योजना से संबंधित शासनादेश संख्या: 3164/12-2-2012-बजट.5/2012 दिनांक 04 अक्टूबर, 2012 में दिये गये प्राविधानों का अनुपालन किया जायेगा।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत धनराशि में से उतनी ही धनराशि का आहरण किया जायेगा, जितनी धनराशि की आवश्यकता होगी।

4. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. तत्संबंधी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-103-बीज-05-संकर बीजों के उपयोग को बढावा देने की योजना (राज्य सेक्टर) के मानक मद-27-सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।

6. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: बी-1-640/दस-2013-231/2013 दिनांक 28 मार्च, 2013 द्वारा प्राविधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित है। अत: इसमें निहित निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

संख्या: (1)/12-2-2013 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/लेखा परीक्षा-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
4. प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट एग्रो/पी0सी0एफ0/उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त(ई-1)/नियोजन-3/कृषि अनुभाग-3/5/बजट अनुभाग-1/2
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

इन्द्रदेव पटेल
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in